राज्य द्वारा एडीपीओ।
असियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री सतेन्द्रसिह तोमर।
प्रकरण असियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
असियोजन साक्षी कुलदीप उप०। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री
गंमीर्रसिह निगम ने मेमो पेश किया।
फरियादी ने प्रकरण में राजीनामा की संमावना व्यक्त की।
उमय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में
रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उमय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण
रूप से निराकरण होना संमव प्रतीत होता है। अत मध्यस्थता के लिए क
उपयुक्त प्रकरण है।
उमयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूंछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्ति
मध्यस्थ मीहम्मद अजहर एएसजे गोहद का चुनाव किया है।
अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उमय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के
हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को मेजा जाये। मध्यस्थ
को हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को मेजा जाये। मध्यस्थ

Order Sheet [Contd

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer रण का परिणाम ससगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

Signature of Parties or Pleaders where necessary

Iudicial Magistrate Prst Class हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें। ১৯৫०

उमयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष दिनांक 23.02.18 को 12 बजे स्वतः उप० रहें।

प्रकरण आगामी दिनांक 27.02.18 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

Judicial Magistrate First Gohad distt.Bhind (M.P.)

पनश्च:

राज्य द्वारा ए डी पी ओ। अमियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री अधिवक्ता श्री सतेन्द्रसिंह प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत। फरियादी / आहत कुलदीप सहित अधिवक्ता श्री गंमीरसिंह निगम।

फरियादी /आहत की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत घारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री जी०एस निगम एव अमियुक्तगण की पहचान उसके अधिवक्ता श्री सतेन्द्रसिंह तोमर द्वारा की गई।

उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अमियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी मय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी / आहत संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं।

अमियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा 294, 323, 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अमियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जात है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323, 506 बी भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रमाव अमियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अमियुक्तगण के प्रतिभूति व बद्यपत्र भारमुक

Date of Order or roceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
कि	ए जाते है।	
lo sture of	प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है। आगामी नियत दिनांक निरस्त की	Date of
जा का जार	O ler or proceeding with Signature of Presiding Officer	
icassary	प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार	
1 1	Judicial Magicante Pist Class Gohad disurblind (M.P.) क अध्यक्ष के अधिक के	
	ाव 23.02.18 को 12 बजे स्वतः उप० एवं।	न्त्री क्षिप्त
	रकण आगामी दिनांक 27.02.18 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन	
	(A.K.Gupia) Judicial Magistrate First Class Gonad distt.Bhird (M.P.)	की प्रस्तुत
	रास्य द्वारा ए डी पी ओ।	
	अस्युवतगण सहित अधिववता श्री अधिववता श्री सरोन्द्रिशिंह	
	प्रकरण में मीडियंशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।	
	क रेयादी / आहत कुलदीप सहित अधिववता श्री गंभीरासिंह निगम।	
	फरियादी /आहत की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत	
	० द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति	
	पर्व अतर्गत धारा 320–2 फारेयाची के हस्ताक्षर, छायाचित्र युवत प्रस्तुत या फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री जी०एस निगम एवं अभियुक्तगण	आवेदन किया ग
un toppe	ान जसके अधिवकता श्री सतेन्द्रसिंह तोमर द्वारा की गई।	
20/00,20	स्वयासों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।	
3	प्रतियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, बवाब, ातच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना के ॥ है। फरियादी/आहत संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमिति सर्थ दर्शित है।	
10101	अभियुक्तगण पर भावदाविक की घारा 294, 323, 506 बी के अधीन 1 अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध	
81	हे आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के हो ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना हि दर्शित होता है।	5 FRY 5555
一片的	यत राजीनामा बाद तस्दीक मय आवंदन पत्र के स्वीकार किया जाता	
"dittub"	स्वतमण को धारा 294, 323, 506 बी. माठद०वि० के अपराध आरोपों से म के आधार पर उपसमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव	